कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/सतर्कता/प्रभाग–ए/हडताल धरना/2017

दिनांक 06.07.17

1. समस्त मण्डल उप निदेशक
   माध्यमिक शिक्षा

2 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
  माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)

3. समस्त संस्था प्रधान
   राउमावि/रामावि

विषयः– विद्यालयों में तालाबंदी के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विगत् वर्षों में विभाग द्वारा समस्त विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने हेतु प्रयास किये गये है। इससे विद्यालयों में रिक्त पदों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। इस सत्र में भी कतिपय विद्यालयों में तालाबंदी के प्रकरण सामने आये है। विभाग के किसी भी विद्यालय में तालाबंदी न हो इस हेतु निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते है:–

1. समस्त उप निदेशक माध्यमिक तालाबंदी हेतु सजग रहेंगे तथा परिक्षेत्र के विद्यालयों में तालाबंदी रोकने हेतु विशेष प्रयास करेंगे। ये अपने कार्यालय में तालाबंदी हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना करेंगे तथा जिले में होने वाली तालाबंदी की सूचना प्रातः 08.00 बजे तथा दोपहर 01.00 बजे निदेशालय स्थित कंट्रोल रूम को देंगे तथा अपने परिक्षेत्र की तालाबंदी की सूचना समेकित कर निर्धारित ई–मेल पर आवश्यक रूप से देंगे।
2. जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में ऐसे संवेदनशील विद्यालयों को चिन्हित करेंगे, तथा इस प्रकार के विद्यालयों में तालाबंदी होने से रोकने के लिए पूर्व से ही प्रभावी प्रयास करना सुनिश्चित करेंगे।
3. जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में तालाबंदी हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना करेंगे तथा जिले में होने वाली तालाबंदी की सूचना प्रातः 08.00 बजे तथा दोपहर 01.00 बजे संबंधित उप निदेशक माध्यमिक को देंगे। तालाबंदी होने की दशा में स्वयं या अपने कार्यालय के जिम्मेवार अधिकारी को मौके पर भिजवाकर तालाबंदी खुलवाना सुनिश्चित करेंगे।
4. समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानीय समुदाय के निरन्तर सम्पर्क मे रहते हुए निर्बाध विद्यालय संचालन की सुनिश्चितता करे, जिससे कि तालाबंदी जैसी अवांछित स्थितियां उत्पन्न न हो। उक्त बाबत् किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल अवगति प्रदान करते हुए अभिभावकों एवं एसडीएमसी सदस्यों को विभागीय नियमों एवं प्रावधानों की वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए उनके सहयोग से तालाबंदी खुलवाने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना सुनिश्चित करे।
5. तालाबंदी की स्थिति अथवा तालाबंदी की सूचना तत्काल अद्योहस्ताक्षरकर्ता/निदेशालय स्थित नियंत्रण कक्ष (**दूरभाष 0151–2201861**) को नही देने की स्थिति में संबंधित संस्थाप्रधान को प्रशासनिक अक्षमता एवं राज्य कार्य के प्रति उदासीनता हेतु जिम्मेवारी निर्धारित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

सलंग्न – सूचना प्रारूप

(नथमल डिडेल)
आईएएस
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/सतर्कता/प्रभाग–ए/हडताल धरना/2017 दिनांक 06.07.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1 शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर
3 सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4 रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक (सतर्कता)

www.rajteachers.com

कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

सत्र 2017–18 में नवीन प्रवेश की तिथि बढ़ा कर दिनांक 15.07.17 की गई है। विभाग द्वारा सीधी भर्ती उपरांत बड़ी संख्या में व्याख्याताओं का पदस्थापन काउन्सलिंग द्वारा विद्यालयों में किया गया है अन्य पदो के लिये डीपीसी की कार्यवाही प्रकियाधीन है। अतः विद्यालय में शिक्षकों की स्थिति में सुधार हुआ है। अधिकाश विद्यालयों में स्टाफ उपलब्ध कराया जा चुका है। फिर भी कतिपय विद्यालयों से तालाबंदी की सूचनाऐं प्राप्त हो रही है। उक्त तालाबंदी की स्थिति नहीं आए इसके लिये निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैः–

1 तालाबंदी की स्थितियों को रोकथाम हेतु समस्त मण्डल उपनिदेशक तथा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में नियन्त्रण कक्ष स्थापित किये जाने हेतु पाबन्द किया जाता है। इस संबंध में कार्यालय जिशिअ एवं उप निदेशक कार्मिकों के आदेश जारी कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में नियंत्रण कक्षा स्थापित किया जाता है। जिसमें निम्नानुसार कार्मिकों को अपने कार्य के साथ उत्तरदायित्व दिया जाता है, जो प्रति दिवस रिपोर्ट उप निदेशक, माध्यमिक, कार्यालय हाजा को देंगे:–

क्र.स.	नाम	विवि
1	श्री नरेन्द्र गुप्ता सहायक निदेशक , सतर्कता कार्या. हाजा	प्रभारी
2	श्री राजेन्द्र मील सहायक निदेशक शाला दर्पण	प्रभारी
3	श्री दिलीप परिहार प्रभारी शाला दर्पण	प्रभारी
4	श्री प्रमोद चमोली अनुसंधान अधिकारी माध्यमिक कार्या. हाजा	सह प्रभारी
5	श्री अभय सिंह राजपुरोहित एमआईएस शाला दपर्ण कार्या हाजा	सह प्रभारी

3 प्रतिदिवस की सूचना प्रभारी लिपिक प्रभाग ए–1 सतर्कता द्वारा नियन्त्रण कक्ष से प्राप्त की जाएगी। नियन्त्रण कक्ष में प्राप्त सूचना को तत्काल प्रभाव से संबंधित अनुभाग को भेज कर, रिपोर्ट प्राप्त कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे। प्रतिदिवस की रिपोर्ट शासन को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4 जिला शिक्षा अधिकारी एवं उपनिदेशक अपने कार्यालय में ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होते ही तत्काल निदेशालय को वस्तुस्थिति की पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आवश्यकता होने पर स्वयं भ्रमण कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

5 निदेशालय स्थित नियंत्रण कक्ष का दूरभाष 0151–2201861 रहेगा। समस्त उप निदेशक अपने परिक्षेत्र की तालाबंदी की सूचना प्रातः 08.00 बजे इस दूरभाष पर देंगे तथा समस्त परिक्षेत्र की सूचना को समेकित कर ई–मेल **talabandi2017@gmail.com** पर दोपहर 02.00 बजे से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। सूचना नही प्राप्त होने की स्थिति में तालाबन्दी संख्या शून्य निर्धारित की जावेगी।

संस्था प्रधान का यह दायित्व है कि वह तालाबंदी के कारणों एवं परिस्थितियों का आकलन/निवारण पूर्व में कर ले , जो तालाबंदी का कारण बन सकते है। तालाबंदी हेतु उत्तरदायी तथा तालाबन्दी की सूचना समय पर उच्च अधिकारी तक नहीं पहुँचाने वाले कार्मिक/अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कमांक–शिविरा/माध्य/सतर्कता/प्रभाग–ए/हडताल धरना/2017 दिनांक 06.07.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1 शासन सचिव, माध्यमिक राजस्थान, जयपुर
2 विशिष्ट सहायक , शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर
3 समस्त उप निदेशक /जिशिअ एवं अधिकारी कार्या. हाजा

सहायक निदेशक (सतर्कता)

www.rajteachers.com

कार्यालय – जिशिअ / उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा ....

तालाबंदी की दैनिक सूचना दिनांक..

क. स	जिला	ब्लॉक	विद्यालय का नाम	तालाबंदी का कारण	जिशिअ / उप निदेशक की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

www.rajteachers.com